दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 06.03.2021 को प्रकाशित खबर " टेंडर के समय शर्त थी टर्न ओवर रू.20 करोड़ हो, बाद में कर दिया सिर्फ 5 करोड़ " के सम्बन्ध में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आयी शिकायत परिवाद क्रमांक –03211799589091 का जवाब :–

आरएमएससीएल द्वारा 82 औषधियों की दर संविदा हेतु निविदा क्रमांक F.02(294) / RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-17/2020/1372 Dated:-30.07.2020 जारी की गई थी, जिसमें औषधी Human Rabies Immunoglobulin Inj 150 IU/ ml शामिल थी। जिसकी प्री– बिड दिनांक 07.08. 2020 को रखी गयी थी, प्री– बिड में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार विमर्श हेतु एजेण्डा दिनांक 21.08.2020 को हुयी क्रय समिति की बैठक मे रखा गया। क्रय समिति की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार दिनांक 27. 08.2020 को संशोधन जारी किया गया (परिशिष्ट "अ")। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 08.09.2020 को खोली गई थी। इस आइटम के लिये 03 बिड दाताओ द्वारा बिड प्रस्तुत की गई थी। तकनीकी मूल्याकंन के पश्चात फर्मो के Responsive / Non Responsive निर्धारण हेतु दिनांक 04.12.2020 को हुयी क्रय समिति की बैठक में रखा गया जिसमें औषधी नियंत्रक राजस्थान के प्रतिनिधि की रायानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

"M/s Prosper Channel Lifescience India Pvt. Ltd. द्वारा आइटम कोड 305 (Rabbies immuglobulins) के लिए प्रस्तुत COPP, certificate Sichuan province food and drug administration, Changdu, Sichuan province P.R. China. द्वारा जारी किया गया है इसी Same Authority द्वारा अन्य प्रोडक्ट के लिये COPP जारी किया है जिसमें यह Clear Mention है कि आइटम के निर्माण की Facilities WHO-GMP Guideline का अनुसरण करती हैं। जबकि उपरोक्त COPP में निर्माण Facilities Chinese GMP को Follow करती हैं। अतः उक्त COPP को निविदा शर्तो के अनुरूप नही माना जा सकता। अतः क्रय समिति ने औषधी नियंत्रक राजस्थान के प्रतिनिधि की राय को मानते हुए फर्म के उक्त आइटम को Non-Responsive किये जाने का निर्णय लिया।" निर्णय के अनुसार Tentative List of bidders declared responsive / Non responsive दिनांक 14.12. 2020 को जारी की गई। जिसके क्रम में फर्म M/s Prosper Channel Lifescience India Pvt. Ltd. ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिसे दिनांक 18.12.2020 को हुयी क्रय समिति की बैठक में रखा गया। क्रय समिति द्वारा औषधि नियंत्रक राजस्थान के प्रतिनिधि की रायानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

"PROSPER CHANNEL LIFESCIENE INDIA PVT. LTD. द्वारा आइटम कोड 305 (Human Rabies Immunoglobulin Inj 150 IU/ ml) के प्रस्तुत अभ्यावेदन के सम्बन्ध में फर्म द्वारा प्रस्तुत COPP के Point 3.3 में "Do the Facilities and operations conform to GMP as recommended by World Health Organization" के स्थान पर "Do the Facilities and operations conform to GMP in china" अंकित हैं तथा फर्म द्वारा प्रस्तुत COPP, CDSCO Guidance documents के Annexure VII के प्रोफार्मा के अनुरूप नही है तथा फर्म द्वारा Clarification के प्रत्युत्तर में भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया हैं। क्रय समिति द्वारा औषधि नियंत्रक राजस्थान के प्रतिनिधि की राय को मानते हुए फर्म को उक्त आइटम के लिये नॉन रेस्पोन्सिव माने जाने का निर्णय लिया।"

उपरोक्त प्रकरण में फर्म M/s Prosper Channel Life Sciences India Pvt. Ltd द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों को औषधि नियंत्रक राजस्थान को भिजवाकर उनसे प्रकरण पर टिप्पणी देने का अनुरोध किया गया। औषधि नियंत्रक राजस्थान ने पत्र दिनांक 24.12.2020(परिशिष्ट "ब") द्वारा जवाब भेजकर क्रय समिति की बैठक 18.12.2020 के निर्णय को सही ठहराते हुए फर्म M/s Prosper Channel Life Sciences India Pvt. Ltd द्वारा प्रस्तुत COPP को CDSCO Guidance documents के Annexure VII के प्रोफार्मा के अनुरूप नही होना बताया।

इस निविदा की वित्तीय बिड दिनांक 08.01.2021 को खोली गयी, फर्म M/s Prosper Channel Life Sciences India Pvt. Ltd ने नॉन रेस्पोन्सिव किये जाने के विरूद्व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, के यहां प्रथम अपील दायर की। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 03.02.2021 द्वारा भारतीय औषधि महानियंत्रक केन्द्रीय औषधी मानक नियंत्रक संगठन, नई दिल्ली से फर्म के COPP के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने तक आइटम कोड 305 के संबंध में आगे की कार्यवाही नहीं की जावें, के निर्देश प्रदान किये गये। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये स्थगन के कारण न्यूनतम दर दाता फर्म BHARAT SERUMS AND VACCINES LIMITED को अभी तक Letter of Acceptance जारी नहीं किया गया।

प्री – बिड में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर प्रतिस्पर्धा बढाने एवं औषधियों की उपलब्धता की सुनिश्चितता बनाये रखने के लिये निविदा शर्तो में संशोधन करने का अधिकार क्रय समिति को हैं।

RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के तहत अपील के निपटारे की प्रक्रिया विचाराधीन हैं के निपटारे तक उपापन कार्यवाहियों रोकने का अपीलीय अधिकारी को अधिकार हैं।

आरएमएससीएल द्वारा की गयी कार्यवाही RTPP Act 2012, RTPP Rules 2013 एवं निविदा शर्तों के अनुसार हैं।

अखबार में प्रकाशित खबर भ्रामक एवं तथ्यहीन हैं।